क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-259039
फैक्स : 05732-259039

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
# Uttar Pradesh Pollution Control Board

शिवपुरी, (स्टेट बैंक के सामने), रेलवे रोड, बुलन्दशहर-203001

संदर्भ : 911/NOC-754/15 दिनांक 18.04.15

सेवा में,
मै0 एस्सार आयल एण्ड गैस लि0,
गाटा संख्या–210, ग्राम मुड़िया,
तहसील बिसौली, जनपद, बदायूँ।

विषय– पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोंण से (पेट्रोल पम्प भण्डारण डिपो क्षमता–25.0 किली0/माह पेट्रोल एवं 85.0 किली0/माह डीजल) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र, जो कि इस कार्यालय में निवेश मित्र योजनान्तर्गत दिनांक 16.04.2015 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया तथा उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1) अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–

| | |
|---|---|
| (क) स्थल– | गाटा संख्या–210, ग्राम मुड़िया, तहसील बिसौली, जनपद, बदायूँ। |
| (ख) भण्डारण क्षमता – | एस0एम0 – 25 किली0/माह। एच0एस0डी0– 85 किली0/माह। |
| (ग) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा– | शून्य |
| (घ) प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा– | डीजल, 10 केवीए डी0जी0 सेट हेतु आवश्यकतानुसार। |

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) घरेलू बाहिश्राव को सेप्टिकटैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर सेप्टिकटैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये।

(3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त भण्डारण क्षमता हेतु अनुमन्य है। क्षमता विस्तार हेतु पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) भण्डारण डिपो परिसर में किसी प्रकार की औद्योगिक प्रकिया संचालित नहीं की जायेगी।

(5) भण्डारण डिपो परिसर में चारो ओर पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जाय।

(6) भण्डारण डिपो की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाय कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी क्रिया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं की जाय।

(7) भण्डारण डिपो द्वारा अनलोडिंग एवं रिफलिंग हेतु तथा सहयोगी प्रकियाओं में किसी प्रकार के ईंधन का दहन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार का वायु उत्सर्जन किया जायेगा।

(8) पेट्रोल पम्प को कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस, बरेली परिक्षेत्र द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के पत्र सं0 2015/8309/बीडीएन/बदायूँ/58/डी0डी0/165 दिनांक 31.03.2015 में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(9) भण्डारण/उपयोग हेतु आकस्मिक दुर्घटना नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपकरण तथा प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था अवश्य की जाय तथा इस सम्बन्ध में कारखाना विभाग से अनुमोदित डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को एक माह में प्रेषित की जाय।

.........2/–